


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—


क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान(राजमावि / राबाउमावि)	अवधि	राजमावि/राबाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्री गीगा राम गुर्जर व्याख्याता अंग्रेजी, राजमावि गुढागौड़जी, झुन्झुनूं	जून 2019	राजमावि गुढागौड़जी, झुन्झुनूं से व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर
 दिनांक : 29/12/2019

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतन व्यवस्था/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर